जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 17.09.2020

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा 36 घण्टे के भीतर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो हत्याभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मृतक के 02 मोबाइल व आई-20 कार की चाबी बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 15.09.2020 को समय करीब 08.30 बजे थाना कैराना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बराला-गोगवान रोड पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में आई-20 कार रंग सफेद, नम्बर UP-19H/5094 में पड़ा है। सूचना पर तत्काल थाना कैराना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की शिनाख्त उससे मिले ड्राइविंग लाईसेंस से मुरसलीन पुत्र शहजाद निवासी पावटीकलां हालपता मौहल्ला आलकलां कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के रूप में हुई।

मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु गला दबाये जाने से होना पाया गया है। घटना के सम्बन्ध में मृतक के पुत्र शाहरुख द्वारा थाने पर लिखित तहरीर दाखिल की गई जिसके आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पुलिस द्वारा कृत कार्यवाहीः- दिनांक 15.09.2020 को घटनास्थल बराला-गोगवान मार्ग पर संदिग्ध परिस्थिति में पाये गये मृतक के सम्बन्ध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या की पुष्टि होने पर पुलिस अधीक्षक शामली श्री विनीत जायसवाल द्वारा क्षेत्राधिकारी कैराना के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कैराना की टीम को उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु लगाया गया। साथ ही साथ उनके सहयोग हेतु सर्विलांस टीम को भी लगाया गया। थाना कैराना एवं सर्विलांस टीम द्वारा घटनास्थल से अहम जानकारियां जुटाई गई और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। एकत्रित साक्ष्य एवं जानकारियों के आधार पर थाना कैराना पुलिस द्वारा घटना का 36 घण्टे में आज दिनांक 17.09.2020 को सफल अनावरण करते हुए हत्या की घटना करित करने वाले दो हत्याभियुक्त आजम व दानिश को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिनके कब्जे से मृतक के 02 मोबाइल फोन व आई-20 कार की चाबी बरामद हुई है।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण से की गई विस्तृत पूछताछ में अभियुक्त आजम ने बताया की आजम मृतक मुरसलीन का पूर्व परिचित था और काफी लम्बे समय तक मृतक की गाड़ी चलाई तथा खुद उसका वफादार था। आजम ने एक साल दुबई में काम किया है और कुछ महीने पूर्व मुरसलीन ने आजम के बाहर से लौटने पर उसके साथ धोखाधडी करते हुए धन ठग लिया जिसके कारण आजम कई महिनो तक तनाव में रहा। उसका काफी लम्बे समय तक इलाज चला और वह कुंठित रहा, इसी कुंठा के चलते उसने मन ही मन मुरसलीन से बदला लेने की ठानी और मुरसलीन से रंजिश रखने लगा। इसी के चलते अगस्त माह में उसने मुरसलीन से पुन: सम्पर्क साधना शुरू कर दिया। आजम ने अपने योजना के सम्बन्ध में अपने बचपन के घनिष्ठ दोस्त दानिश को दोस्ती का वास्ता देकर मुरसलीन से बदला लेने की योजना में साथ देने को राजी कर लिया। दिनांक 14.09.2020 को योजना के मुताबिक उन्होंने फोन से मुरसलीन को खाने पीने के बहाने गाडी वाला चौराहा थाना झिंझाना में रात्रि करीब 07.30 बजे बुलाया जहां मुरसलीन ने पहुंचकर अपनी गाडी में पैट्रोल पम्प से तेल डलवाया(पैट्रोल पम्प की CCTV फुटेज़ मे इसकी पुष्टि हुई है) फिर पीने के लिए शराब खरीदकर गाडी में ही शराब पी और नॉनवेज खाया। शराब पीते समय आजम ने शराब में कोई नशीली दवा डाल दी। गहरे नशे में होने पर मुरसलीन को दोनों ने आई-20 गाडी में साथ लेकर गोगवान के जंगल में पहुंचे। जहां दोनों ने मुरसलीन के गले में कपडा डालकर उसका गला दबा दिया और फिर कार को जंगल में ही गोगवान रोड पर छोड दिया। दोनों नें मृतक के दोनों मोबाइल फोन और गाडी की चाबी निकाल ली और घटना कारित करने के बाद दोनों वहां से फरार हो गये।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- आजम पुत्र समीउल्ला निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

2- दानिश पुत्र सलीम निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- मृतक के 02 मोबाइल- (सैमसंग मोबाइल किपैड सफेद रंग ,इनफिक्स कम्पनी टच फोन नीला रंग)

2- आई -20 कार की चाबी

3- हत्या में इस्तेमाल किये जाना वाला परना (आलाकत्ल)।

4- खून से सना कपडा जिससे हत्या करने के बाद गाडी की खिडकी में लगे खून को साफ किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री प्रेमवीर सिह राणा थाना कैराना जनपद शामली।

2- व0उ0नि0 मौ0 नफीस अहमद थाना कैराना जनपद शामली।

3- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र गौड थाना कैराना जनपद शामली।

4- उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

5- का0 विकास कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

6- का0 रोहित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

7- का0 शहजाद थाना कैराना जनपद शामली।

8- का0 प्रेम चौधरी थाना कैराना जनपद शामली।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस का शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान जारी, अवैध शराब के निर्माण को चलाई जा रही भट्टी पर छापेमारी कर 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद।

दिनांक 17.09.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री विनीत जायसवाल के आदेशानुसार अवैध शराब की बरामदगी, अवैध निर्माण एवं तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भड़ी मुस्तफाबाद मंदिर के पास से अवैध शराब के निर्माण को चलाई जा रही 01 भट्टी पर छापेमारी करते हुए 01 अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं निर्माण में प्रयुक्त उपकरण के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। मौके पर मिले कुल 60 लीटर लहन एवं भट्टी को पुलिस पार्टी द्वारा नष्ट कराया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- वेद पाल उर्फ वेदु पुत्र तारा निवासी भड़ी मुस्तफाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध कच्ची शराब 20 लीटर।

2.कच्ची शराब बनाने के उपकरण (लोहे का ड्रम, लोहे की परात, बाल्टी, प्लास्टिक के डिब्बे, बाल्टी, रबड़ का पाइप, मिट्टी की प्लेट, लोहे का जाल, कीप, कांच की बोतल, मग आदि)।

3.नष्ट कराया गया 60 लीटर लहन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री लोकेश कुमार गौतम थाना झिंझाना जनपद शामली।

2-है0का0 मांगेराम थाना झिंझाना जनपद शामली।

3-का0 कंवरपाल थाना झिंझाना जनपद शामली।

4-का0 गौरव सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 01 किलो 500 ग्राम गांजा (कीमत करीब 40,000/- रूपये) बरामद।

दिनांक 16.09.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री विनीत जायसवाल द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी एवं तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर सिटीग्रीन से मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है जिसके कब्जे से करीब 01 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. दीपक उर्फ बदरी पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला जनपद शामली, हाल निवासी शाकुम्भरी फैक्टरी एरिया कंडेला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. अवैध गांजा करीब 01 किलो 500 ग्राम (कीमत करीब 40,000/- रूपये)।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री मिठ्ठन लाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2. का0 यशपाल सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।